



2026:AHC:20838

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 1268 सन् 2026

पुनीत कुमार और 12 अन्य

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री बी.एन. सिंह राठौर और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ और समान स्थिति वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण पी.ए.सी. से सशस्त्र पुलिस में कर दिया गया था, फिर भी याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय सर्वप्रथम उत्तरदाता संख्या 4, पुलिस महानिरीक्षक, पी.ए.सी. मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना चाहिए।
4. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति उत्तरदाता संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर उत्तरदाता आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेगा।
5. आज दायर किए गए निर्देश परिशिष्ट ए के रूप में अभिलेख में अभिलिखित किए जाते हैं।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"